# सूक्ष्म सिंचाई

**वसुन्धरा राजे**
**मुख्यमंत्री, राजस्थान**

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

**प्रभुलाल सैनी**
**कृषि मंत्री, राजस्थान**

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं ताकि उनकी आय बढ़े। इस प्रकाशन में हम आपको खेती के इन्हीं तरीकों व तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप सभी अपनाएं और आगे बढ़ें।

## प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना

राजस्थान में पानी का समुचित उपयोग हो इसके लिये सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना कृषकों एवं फसल उत्पादन के लिए लाभकारी है। बूंद–बूंद सिंचाई प्रणाली जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति के दृष्टिकोण से सूक्ष्म सिंचाई योजना अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तकनीक है। जल बचत, फसल उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन एवं उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी तथा फर्टिगेशन के द्वारा पोषक तत्वों के दक्ष उपयोग के मद्देनजर बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली समय की आवश्यकता है।

## पद्धति के उद्देश्य

- जल की बचत और फसल पैदावार एवं गुणवत्ता में वृद्धि
- ऊबड़–खाबड़ या ढ़ालू भूमि पर भी सिंचाई के लिए अनुकूलता
- उर्वरकों का दक्ष उपयोग
- कम खरपतवार
- फसल उत्पादन की लागत में कमी

## योजना के घटक

- ड्रिप सिंचाई संयंत्र/मिनी स्प्रिंकलर/माइक्रो स्प्रिंकलर
- फव्वारा सिंचाई संयंत्र/रेनगन

## योजना हेतु पात्रता

- कृषक के पास भू–स्वामित्व
- कृषक के पास सिंचाई की सुविधा हो
- उद्यान विभाग में पंजीकृत निर्माताओं के.बी.आई.एस. मार्क संयंत्र क्रय किये हों
- गत दस वर्ष के दौरान पांच हैक्टेयर की अधिकतम सीमा में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रो पर अनुदान न लिया हो

## योजना हेतु अनुदान प्रक्रिया

- कृषक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज ऑनलाईन एवं हॉर्डकॉपी संबंधित क्षेत्र में कृषि/उद्यान विभाग के कार्यालय में भेजा जाए।
- विभाग द्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन।
- पात्र लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता के पक्ष में अनुदान स्वीकृति एवं ऑन लाईन अनुदान जारी किया जाता है।
- एक कृषक परिवार के अधिकतम 5 हैक्टेयर फव्वारा/मिनी/माईक्रो स्प्रिंकलर/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान देय होगा।

## सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत राज सहायता

ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र पर देय अनुदान

| क्षेत्र | कतार से कतार की दूरी मीटर में | |
|---|---|---|
| | लघु सीमान्त कृषक | अन्य कृषक |
| डीपीएपी / डीडीपी | 70 प्रतिशत | 50 प्रतिशत |
| नॉन डीपीएपी / डीडीपी | 70 प्रतिशत | 50 प्रतिशत |

फव्वारा संयंत्र पर देय अनुदान

| क्षेत्र | कृषक श्रेणीवार अनुदान (इकाई लागत का) | |
|---|---|---|
| | लघु सीमान्त कृषक | अन्य कृषक |
| डीपीएपी / डीडीपी | 60 प्रतिशत | 45 प्रतिशत |
| नॉन डीपीएपी / डीडीपी | 45 प्रतिशत | 35 प्रतिशत |

ग्राम
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

**उन्नत किसान**
**ख़ुशहाल राजस्थान**


उद्यान निदेशालय, राजस्थान
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 222 7616 | W: agriculture.rajasthan.gov.in
E: hortiraj_rj@gov.in


अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**
पर बात करें या अपने पास के कृषि पर्यवेक्षक या अपने ज़िले के
उप निदेशक कृषि या सहायक निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर